मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / 1616/396 / 2022 / 20–1, भोपाल, दिनांक 29 / 09 / 2022

संशोधित

प्रति,

1. आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी , मध्यप्रदेश ,

विषयः–प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक, के नियोजन की प्रक्रिया।

––00––

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के (इसके पश्चात् भर्ती नियम 2018 से संबोधित) नियम 11 उप नियम (9) में प्रावधान है कि " **नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गो के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।**" इस प्रावधान के अधीन राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति एवं चयन सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया का निम्नलिखित अनुसार निर्धारण किया जाता हैं:–

1. पात्रता परीक्षा के विषयः–

(1.1) हाईस्कूल / उच्च माध्यगिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किये जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। पात्रता परीक्षा हिन्दी, अंग्रेजी,संस्कृत,उर्दू,गणित, जीवविज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र, कृषि, वाणिज्य, एवं गृहविज्ञान विषय में आयोजित होगी। आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। इन विषयों में मान्य किए जाने वाले सहविषय परिशिष्ट–1 अनुसार होंगे।

(1.2) माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किये जाने वाले माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। परीक्षा के विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, एवं उर्दू होंगें। गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। विज्ञान विषय अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, माइक्रो बॉयलॉजी, बायो टेक्नालॉजी, बायो इंफर्मेटिक्स में से किन्ही दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना एवं सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत एवं उर्दू विषय के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर

पर इन विषयों का मुख्य विषय के रूप में अध्ययन करना अनिवार्य होगा। स्नातक उपाधि, निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा।

(1.3) प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किये जाने वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित नहीं होगी। यह परीक्षा कामन एन्ट्रेंस परीक्षा के रूप में होगी।

(1.4) माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर चयन हेतु आवेदक जिस विषय की शैक्षणिक योग्यता धारित करता है, उसे उसी विषय के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

2. शिक्षकों के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण अर्हताएं :–

शिक्षकों के नियोजन के लिए नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची–तीन के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता अभ्यर्थी को धारित करना अनिवार्य होगा।

3. शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण :–

(3.1) उपलब्ध रिक्त पदों में से पदों की पूर्ति निम्नानुसार की जायेगीः–

(अ) उपलब्ध रिक्तियों में से 25 प्रतिशत पद भर्ती नियम 2018 के नियम–11 के उप नियम–7 (ख) (चार) के अनुसार अतिथि शिक्षकों में से भरे जायेंगे।

(ब) शेष 75 प्रतिशत पद अन्य अभ्यार्थियों से भरे जायेंगे।

(3.2) उपरोक्तनुसार कंडिका (3.1) के पदों में से राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए गये आदेश के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों तथा आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिये पद आरक्षित किये जाएँगे।

(3.3) कंडिका (3.1) 'अ' एवं 'ब' के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग (अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अनारक्षित वर्ग) के लिए महिलाओं, दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण, भर्ती नियम 2018, के नियम 11 उप नियम (7) के अनुसार होगा।

(3.4) कंडिका (3.1) (अ) अनुसार उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियाँ ऐसे अतिथि शिक्षक वर्ग के नियोजन के लिये आरक्षित की जायेगी, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। परन्तु अतिथि शिक्षक के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रता धारी अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

4. रिक्त पदों में से 25 प्रतिशत पदों हेतु अतिथि शिक्षकों का आरक्षण :–

प्रदेश के शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में रिक्त पदों पर विभाग के निर्देशानुसार रखे गये ऐसे अतिथि शिक्षकों को जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है, उन्हें चयन में उपलब्ध सीधी भर्ती के 25 प्रतिशत पदों पर मेरिट कम में नियुक्ति का अवसर प्राप्त होगा बशर्ते :–

(अ) वे नियम–2018 की अनुसूची–तीन में उल्लेखित अनुसार, शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता धारित करते हो।

(ब) इन निर्देशों की कंडिका–(5.4) अनुसार पात्रता परीक्षा न्यूनतम अंको के साथ उत्तीर्ण कर अर्हता प्राप्त की हो।

5. पात्रता परीक्षा का आयोजन एवं न्यूनतम अर्हताकारी अंक :–

(5.1) भरती नियम, 2018 के नियम–11(2) में दिये गये प्रावधान के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) भोपाल को पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए विहित अभिकरण घोषित किया जाता है। पी.ई.बी. द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा पृथक–पृथक तिथियों में आयोजित की जायेगी। एक आवेदक पात्रतानुसार एक से अधिक परीक्षा में भाग ले सकता है।

(5.2) पी.ई.बी. भोपाल, पात्रता परीक्षा लेने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तथा परीक्षा की स्कीम को समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा।

(5.3) पात्रता परीक्षा का आयोजन ऑनलाईन किया जायेगा।

(5.4) भर्ती नियम 2018 के नियम–11 (5) में दिये गये प्रावधान के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंको का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा :–

अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/दिव्यांग व्यक्ति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अन्य
(1)	(2)
50 प्रतिशत	60 प्रतिशत

(5.5) पी.ई.बी. द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा न्यूनतम निर्धारित अंको के साथ उत्तीर्ण करने वाले अर्ह अभ्यर्थियों की, उनके द्वारा प्राप्त किये गये प्राप्तांकों (दशमलव के दो अंको तक) के आधार पर विषयवार एकीकृत परीक्षा परिणाम सूची जारी की जायेगी। इस सूची में अभ्यर्थी के प्राप्तांक के सम्मुख यथा स्थिति अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य

पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन का उल्लेख किया जायेगा। यह सूची पी.ई.बी. द्वारा एमपी ऑनलाईन को सीधे उपलब्ध कराई जायेगी।

(5.6) योग्यता सूची में अंक (दशमलव के पश्चात दो अंक तक) बराबर होने की दशा में मेरिट सूची में प्राथमिकता अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दी जायेगी।

6. रिक्तियों की गणना करना, विज्ञापन का प्रारुप :–रिक्तियों की गणना तथा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण अधिकृत होगें।।

7. चयन का मापदण्ड एवं चयन सूची तैयार करना :–

(7.1) मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसरण में चयन सूची आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नियोक्तावार, पदवार (प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक) एवं प्रवर्गवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग) महिलाओं, दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक सहित एम.पी. ऑनलाइन द्वारा तैयार की जायेगी।

(7.2) अतिथि शिक्षकों के लिये आरक्षित 25 प्रतिशत पदों की मेरिट सूची एवं 75 प्रतिशत पदों के लिये पृथक–पृथक मेरिट सूची उपरोक्त कंडिका (7.1) में दिये गये प्रावधान के अनुसार तैयार की जायेगी। परन्तु अतिथि शिक्षक के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा 2018 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करते समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में केटेगरी रेंक जनरेट की गई है अतः इसी रेंक के आधार पर पर कार्यवाही की जाएगी।

(7.3) चयन सूची जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

8. प्रतीक्षा सूची– विषयवार रिक्त पदों के अधिकतम 25 प्रतिशत पदों के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी, किन्तु शासन की अनुमति से यह अवधि छःमाह तक बढाई जा सकेगी।

9. नियुक्तिकर्ता अधिकारी स्तर से नियुक्ति आदेश तथा चयनित अभ्यर्थियों की उपस्थिति :–
शिक्षकों के पद पर अंतिम रुप से चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्यवाही संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जाकर नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।

10. पदस्थापना :–
चयनित अभ्यर्थियों की संस्थावार पदस्थापना की कार्यवाही नियत प्रक्रिया, अनुसार ऑनलाइन कांउसलिंग के माध्यम से विकल्प प्राप्त कर की जायेगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को पदस्थापना में प्राथमिकता दी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

29/9/22
(ओ.एल.मंडलोई)
उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. कमांक /1617/396/ 2022 / 20–1, भोपाल, दिनांक 29.09.2022

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन मान. मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सचिव, मान. मंत्री / राज्य मंत्री जी, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, चिनार पार्क(ईस्ट) म.प्र. भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल।
7. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, म.प्र. भोपाल।
8. संभागीय आयुक्त (समस्त) म.प्र.।
9. कलेक्टर (समस्त) मध्यप्रदेश।
10. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल।
11. आर्डर बुक।

29/9/22
उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट 1

उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती
मुख्य विषयों के सहविषयों (Allied Subjects) की सूची

स. क्र.	मुख्य विषय	स्नातकोत्तर में मान्य सह विषय (Allied Subject)	स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय
(1)	(2)	(3)	(4)
1	गणित (Mathematics)	• व्यवहारिक गणित (Applied Mathematics) • सांख्यिकी (Statistics) • कम्प्यूटेशनल मैथेमेटिक्स (Computational Mathematics) • औद्योगिक गणित (Industrial Mathematics) • इंजीनियरिंग मैथ्स (Engineering Maths) • Mathematical Science • Pure Mathematics • Operation Research	सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय (गणित) में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।
2	रसायन शास्त्र (Chemistry)	• बायोकेमेस्ट्री (Bio Chemistry) • एप्लाइड बायोकेमेस्ट्री (Applied Bio Chemistry) • व्यवहारिक रसायन शास्त्र (Applied Chemistry) • पर्यावरण रसायन शास्त्र (Environmantal Chemistry) • फार्मास्युटिकल केमेस्ट्री (Pharmaceutical Chemistry) • भौतिक रसायन (Physical Chemistry) • अकार्बनिक रसायन (Inorganic Chemistry) • कार्बनिक रसायन (Organic Chemistry) • औद्योगिक रसायन (Industrial Chemistry) • विश्लेषणात्मक रसायन (Analytical Chemistry) • Instrumentation and commercial method of industrial analysis (MICA)	सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय (रसायन शास्त्र) में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।
3.	जीव विज्ञान (Biology)	• सूक्ष्म जीवविज्ञान (Microbiology) • जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology) • मॉलीकूलरबॉयोलॉजी (Molecular Biology) • प्लांटफिजियोलॉजी (Plant Physiology) • एग्रीकल्चरबॉटनी (Agriculture Botany) • लाईफसाइंस (Life Science) • इकोलॉजी एण्ड एन्वारनमेंट (Ecology and Environment) • मत्स्य विज्ञान (Fisheries)	सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर वनस्पति शास्त्र या प्राणी विज्ञान या बायो साइंस या लाइफ साइंस या plant scienceया Animal Science मुख्य विषय के रूप में स्नातक

स. क्र.	मुख्य विषय	स्नातकोत्तर में मान्य सह विषय (Allied Subject)	स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय
(1)	(2)	(3)	(4)
		• जीव विज्ञान (Bio-Science) • बायो केमेस्ट्री (Biochemistry) • पर्यावरण विज्ञान (Environmental Science) • एक्वॉकल्चर (Aquaculture) • जैव सूचना विज्ञान (Bio Informatics Science) • फॉरेस्ट्री (Forestry) • आनुवांशिकी (Genetics) • एन्वायरमेंटल बॉयोलॉजी (Environmental Biology) • लिमोनोलॉजी (Limonology) • कीट विज्ञान (Entomology) • औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान (Industrial Microbiology) • आनुवांशिक यांत्रिकी (Genetic Engineering) • Plant Science • Animal Science	उपाधि में धारित करना अनिवार्य होगा।
4	भौतिक शास्त्र (Physics)	• इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics) • व्यवहारिक भौतिक (Applied Physics) • न्यूक्लीयर फिजिक्स (Nuclear Physics) • पदार्थ विज्ञान (Material Science) • आणविक भौतिक शास्त्र (Molecular Physics)	सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय (भौतिक शास्त्र) में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।
5	कृषि (Agriculture)	• Agronomy • Plant Breeding and genetics • Plant Pathology • Entomology • Plant Biotechnology/Agriculture Biotechnology • Soil Science and Agricultural Chemistry • Horticulture • Soil and water Management • Fisheries Science • Animal Husbandry and Poultry Farming • Dairy Farming and Dairy Science • Agriculture Business Management	सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय (कृषि) में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।

स. क्र. (1)	मुख्य विषय (2)	स्नातकोत्तर में मान्य सह विषय (Allied Subject) (3)	स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय (4)
		• Plant Bio Chemistry and Chemistry of Plant Products • Plant/Crop Physiology • Agriculture Economics • Agriculture Extension Education • Agriculture Statistics • Microbiology • Agriculture Botany • Forestry • Ecology and Environment • Nematology • Agro Forestry • Agriculture Physics • Food Science and Technology	
6	हिन्दी / हिन्दी साहित्य (Hindi/ Hindi Literature)	• भाषा विज्ञान (Linguistics) • अनुवाद विज्ञान (Translation Science) • संस्कृत (Sanskrit)	सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय (हिन्दी) में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।
7	संस्कृत / संस्कृत साहित्य (Sanskrit/ Sanskrit Literature)	• योग (Yoga)	सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय (संस्कृत) में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।
8	राजनीति शास्त्र (Political Science)	• लोक प्रशासन (Public Administration) • अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) • मानव अधिकार (Human Rights)	सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय (राजनीति शास्त्र) में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।
9	भूगोल (Geography)	• समुद्र विज्ञान (Oceanography)	सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि

	मुख्य विषय	स्नातकोत्तर में मान्य सह विषय (Allied Subject)	स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय
	(2)	(3)	(4)
		• मौसम विज्ञान (Meterology)	प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय (भूगोल) में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।
10	इतिहास (History)	• आधुनिक इतिहास (Modern History) • मध्यकालीन इतिहास (Medieval History) • प्राचीन इतिहास (Ancient History) • यूरोपीयन हिस्ट्री (European History) • कंपोजिट हिस्ट्री (Composite History)	सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय (इतिहास) में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।
11	समाजशास्त्र (Sociololgy)	• सोशल वर्क (Social Work) • मानव शास्त्र (Anthropology)	सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय (समाज शास्त्र) में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।
12	गृहविज्ञान (Home-science)	• एम.एच.एस.सी. (M.Hsc.) एक्सटेंशन एजुकेशन	सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय (गृहविज्ञान) में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।
13	कॉमर्स (Commerce)	• अकाउंटिंग कामर्स (Accounting Commerce) • कास्ट अकाउंटिंग (Cast Accounting) • फाइनेंस अकाउटिंग (Finance Accounting) • एम.ए. कॉमर्स (M.A. Commerce) • लेखा प्रबंधन (Accounts Management) • एम.कॉम (लेखांकन) (M.Com (Accounts)) • एम.कॉम (प्रबंध) (M.Com (Management)) • एम.बी.ए. (लेखांकन/वित्त) (M.B.A. (Accounts/Finance))	सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय (वाणिज्य) में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।

क्र. (1)	मुख्य विषय (2)	स्नातकोत्तर में मान्य सह विषय (Allied Subject) (3)	स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय (4)
		• Accountancy • Fast Accounting Finance Accounting • Management • M.B.A. Human Resource Management	
14	अर्थशास्त्र (Economics)	• व्यवहारिक इकोनोमिक्स (Applied Economics) • बिजनेस इकोनोमिक्स (Business Economics) • एम.बी.ई. (Master of Business Economics)	सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय (अर्थशास्त्र) में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।
15	अंग्रेजी / अंग्रेजी साहित्य (Englisgh/ English Literature)	कोई सहविषय नहीं , स्नातकोत्तर उपाधि मुख्य विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक	
16	उर्दू	कोई सहविषय नहीं, स्नातकोत्तर उपाधि मुख्य विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक	

नोट–1. एप्लाइड शब्द का अर्थ प्रायोगिक /व्यवहारिक/अनुप्रयुक्त होता है। अतः स्नातकोत्तर/ स्नातक स्तर पर मान्य ऐसे मुख्य विषय/सहविषय जिनके आगे एप्लाइड लिखा होगा वे भी मान्य होंगें।

2. स्नातकोत्तर स्तर पर मान्य सभी सह विषयों में से ऐसे सहविषय जो संयुक्त रूप से दो या अधिक विषयों के संयोजन से हो अथवा एक विषय के साथ अन्य विशिष्टिकरण जुडा हो, को भी मान्य किया जाएगा जैसे Genetics & Ecology, Electronics & Communication , Molecular biology & bio technology

3. Allied/applied विषयों में स्नातकोत्त्र उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर कॉलम 4 में अंकित विषय में स्नातक उपाधि अर्जित करना अनिवार्य होगा।

4. म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न सह विषयों को मान्य करने के संबंध में जारी निर्देशों में उल्लेखित सह विषय मान्य होगें, परन्तु अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर कॉलम 4 में अंकित विषय में स्नातक उपाधि अर्जित करना अनिवार्य होगा।

परिशिष्ट–2

निर्देश की कंडिका–3 एवं 7 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रकिया :

(अ) एकीकृत मेरिट सूची–पात्रता परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अतिथि शिक्षकों के 25 प्रतिशत पदों एवं शेष 75 प्रतिशत पदों के लिए सर्वप्रथम आदेश की कंडिका 7.1 के अनुसार लिए पृथक–पृथक विषयवार एकीकृत सूची तैयार की जायेगी, जिसमें पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा और इसके बाद अन्य नाम अवरोही कम में दर्शाये जाएगें। इसमें समस्त पात्र अभ्यर्थियों के नाम होंगें।

(ब) चयन सूची तैयार करने की प्रकिया –

(1) **दिव्यांग व्यक्तियों का चयन**– दिव्यांगजन के पद विर्गवार न होकर दिव्यांगता की श्रेणीवार आरक्षित होंगे सर्वप्रथम दिव्यांगजन का दिव्यांगता की श्रेणी के आधार पर श्रेणीवार चयन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में जिस वर्ग के उम्मीदवार चयनित होंगें उन्हें रोस्टर में संबंधित वर्ग के रिक्त बिन्दुओं पर अंकित किया जाएगा।

(2) अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची –

2.1 एकीकृत मेरिट सूची से सर्वप्रथम अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मेरिट के कम में तैयार की जाएगी।

2.2 **महिलाओं के लिये आरक्षण प्रकिया** –अनारक्षित प्रवर्ग में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अनारक्षित वर्ग की रिक्त पदों के अनुसार तैयार की गई सूची में यदि 50 प्रतिशत से कम महिलाओं के नाम सम्मिलित हैं तो मेरिट सूची में उतनी संख्या में पुरुष अभ्यर्थियों के नाम सबसे नीचे के कम से हटाये जाएगें एवं उनके स्थान पर एकीकृत सूची में मेरिट के कम में आने वाली महिलाओं के नाम उतनी ही संख्या में सम्मिलित किये जायेंगे। अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट सूची में महिलाओं की अनुपलब्धता होने पर मेरिट के कम में पुरुष अभ्यर्थियों से की जा सकेगी।

भूतपूर्व सैनिकों का चयन–अनारक्षित प्रवर्ग में जितनी संख्या में पद भूतपूर्व सैनिक व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे उन्हें मेरिट के क्रम में चयनित किया जायेगा। महिला अभ्यर्थी के स्थान पर यथा स्थिति महिला भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा एवं पुरूष अभ्यर्थी के स्थान पर मेरिट के क्रम में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को इस सूची में सम्मिलित किया जायेगा, ताकि महिला अभ्यर्थियों के आरक्षण प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हो

2.4 अनारक्षित प्रवर्ग की सूची में योग्यता के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग का कोई अभ्यर्थी हो तो उसके चयन को आरक्षित प्रवर्ग के विरूद्ध नहीं माना जावेगा। अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों/आर्थिक रुप से कमजोर प्रवर्ग के अभ्यर्थी को अनारक्षित प्रवर्ग में माना जायेगा।

(स) आरक्षित वर्ग की मेरिट सूची–अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट सूची तैयार किये जाने के पश्चात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/EWS की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट सूची तैयार किये जाने के पश्चात् एकीकृत मेरिट सूची से प्रावीण्यता के क्रम में अनारक्षित सूची में सम्मिलित किए जा चुके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़कर आरक्षित प्रवर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/EWS) के अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जायेगी। महिला, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों के रिक्त पदों हेतु उपरोक्त कंडिका–ब में वर्णित प्रक्रिया अनुसार ही आरक्षित प्रवर्ग की पृथक–पृथक सूची तैयार की जायेगी।